आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास

(Economic Growth & Economic Development)

पिछले कक्षा में हमने आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास जैसे शब्दों को बार-बार देखा है। दोनों शब्दों संवृद्धि एवं विकास का अर्थ एक जैसा ही है। सत्तर के दशक के पूर्व आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास को अर्थशास्त्र में सामन्यतया समान अर्थ में प्रयोग में लाया जाता था। परंतु अब इन दोनों संकल्पनाओं में अंतर किया जाता है।

'आर्थिक संवृद्धि' से हमारा अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में इससे पहले के काल की तुलना में मात्रा की दृष्टि से अधिक उत्पादन हो रहा है या नहीं। सामान्यतया यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक संवृद्धि हो रही है।

आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक संवृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है।

'आर्थिक विकास' की परिभाषा एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में की जा सकती है जिसके परिणामस्वरूप कोई देश एक लम्बी समयावधि में अपनी-अपनी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ-साथ गरीबी एवं बेरोजगारी जैसी आर्थिक समस्याओं में कमी हो रही हो। बशर्ते कि निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या में वृद्धि न हो और आय का वितरण और अधिक असमान न हो जाय। आर्थिक संवृद्धि को आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में देखा गया।

आर्थिक संवृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है, जबकि आर्थिक विकास आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है।

जहाँ आर्थिक संवृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित है, आर्थिक विकास परिमाणात्मक तथा गुणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है।

'आर्थिक विकास तभी माना जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता **(Quality of Life)** में सुधार हो।

ऐसा माना जाता है कि प्रतिव्यक्ति आय सूचकांक जीवन की गुणवत्ता को सही रूप में प्रदर्शित नहीं करता है अतः आर्थिक विकास की माप में अनेक चर सम्मिलित किये जाते हैं, जैसे-आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा तथा साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवायें, प्रति व्यक्ति उपयोग वस्तुएँ आदि।

आर्थिक संवृद्धि = केवल परिमाणात्मक परिवर्तन

(राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में परिवर्तन)

आर्थिक विकास = परिमाणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन।

(राष्ट्रीय उत्पाद तथा साथ ही जीवन की गुणवत्ता में सुधार जो राष्ट्रीय कल्याण में वृद्धि से संबंधित है।)

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को 'गरीबी के विरुद्ध लड़ाई' के रूप में परिभाषित किया, चाहे वह गरीबी किसी रूप की हो।

आर्थिक विकास का मुख्य लक्ष्य कुपोषण, बीमारी, निरक्षरता, गन्दगी, बेरोजगारी, असमानता आदि को प्रगतिशील रूप से कम करना तथा अन्तिम रूप से समाप्त करना है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक विकास बहुत अधिक व्यापक अवधारणा है जो अपने में आर्थिक संवृद्धि, सामाजिक क्षेत्रक विकास तथा समावेशी विकास (Inclusive Growth) को सम्मिलित किये हुये है।

अतः कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास के बिना आर्थिक संवृद्धि तो संभव है परन्तु आर्थिक संवृद्धि के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है।

बजट (BUDGET)

परिचय :

सरकारी बजट सरकार के अनुमानित आय एवं व्यय का वार्षिक विवरण होता है। बजट का किसी देश की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सरकार अपने लोगों के हित में अपनी नीतियों का कार्यान्वयन करना चाहती है। इसके लिए उसे व्यय (Expenditure) करना पड़ता है और इस व्यय को पूरा करने के लिए उसे कई प्रकार के साधनों की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार बजट सरकार की विभिन्न नीतियों को लागू करने का एक साधन है जब सरकार बजट के अनुसार व्यय करती है तो उससे अर्थव्यवस्था के विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार व्यय को पूरा करने के लिए जब सरकार कर तथा अन्य स्त्रोतों से आय प्राप्त करती है, तो इससे भी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र प्रभावित होते हैं। अतः बजट की भूमिका अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण होती है।

बजट की परिभाषा

बजट फ्रांसीसी शब्द 'बुजेट' (Bougette) से बना है जिसका अर्थ 'चमड़े का छोटा थैला' होता है। आज इस शब्द का प्रयोग विश्व के सभी देशों में होता है। इसका मतलब संसद के सामने उसकी स्वीकृति के लिए सरकार द्वारा रखे गये उस दस्तावेज से होता है जिसमें एक दिये समय के लिए प्रस्तावित व्यय तथा उसे पूरा करने के साधन (आय) का अनुमान होता है।

प्रो० शिराज के अनुसार, "बजट आय और व्यय का सार्वजनिक विवरण है जो सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा अनुमानित व्यय को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है।"

रैने स्टौर्न के अनुसार, "बजट एक ऐसा प्रलेख है जिसमें सार्वजनिक आय और व्यय की एक स्वीकृत योजना होती है।"

इस प्रकार स्पष्ट है कि बजट में एक निश्चित अवधि के लिए आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है।

भारत में बजट

भारत में फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्री सरकार का वार्षिक आम बजट संसद में प्रस्तुत करते हैं। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहते हैं। व्यवसायी, राजनीतिज्ञ, नीति-निर्माता, वित्तीय मामलों के जानकार, अर्थशास्त्र के विद्यार्थी आदि उस दिन दूरदर्शन (टेलीविजन) के सामने यह जानने के लिए बैठ जाते हैं, कि (i) पिछले वर्ष में सरकार का वित्तीय निष्पादन (Financial Performance) कैसा रहा है और (ii) आगामी वर्ष के लिए सरकार की क्या नीतियाँ तथा क्या कार्यक्रम है।

बजट सरकार की अनुमानित (expected) आय तथा अनुमानित व्यय का ऐसा ब्योरा है जो एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के अनुमानों को प्रकट करता है। इसमें बीते वर्ष की उपलब्धियों तथा कमियों से संबंधित रिपोर्ट भी सम्मिलित होती है। परंतु बजट के इस भाग पर, जिसमें पिछली घटनाओं का वर्णन मात्र होता है, विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। अधिकतर बजट के उस भाग पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिसमें आने वाले वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों (आय) तथा व्यय का वर्णन होता है।

सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार के आय तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है।

राज्य सरकार का बजट

संविधान के अनुच्छेद-202 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार राज्य का 'वार्षिक वित्तीय विवरण' तैयार करती है। इसे राज्य सरकार का बजट कहा जाता है।

राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रतिवर्ष राज्य सरकार को बजट रखना आवश्यक है।

केंद्रीय सरकार का बजट

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-112 के अनुसार केन्द्रीय सरकार समस्त देश का 'वार्षिक वित्तीय विवरण' तैयार करती है इसे केंद्रीय सरकार का बजट कहा जाता है। भारत सरकार को प्रतिवर्ष लोकसभा तथा राज्य सभा (संसद के दो सदन) के समक्ष बजट रखना आवश्यक है।

बजट के अवयव अथवा बजट की संरचना / सरकार के आय एवं व्यय :

आइये अब हमलोग बजट की संरचना या बजट के अवयव को जानने का प्रयास करते हैं। चूंकि बजट में सरकार के आय और व्यय का विवरण होता है। इसलिए बजट की संरचना सरकार के आय और व्यय से बनती है।

बजट के दो विस्तृत घटक है :

1. बजट प्राप्तियाँ (Budget Receipts)
2. बजट व्यय (Budget Expenditure)

1. **बजट प्राप्तियाँ :** बजट प्राप्तियों से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार को सभी साधनों से प्राप्त होने वाली अनुमानित मौद्रिक आय से है, जिसे हम सार्वजनिक आय भी कहते हैं।

बजट प्राप्तियों को दो भागों में बांटा जाता है।

(क) राजस्व प्राप्तियाँ (Revenue Receipts)

(ख) पूंजीगत प्राप्तियाँ (Capital Receipts)

(क) राजस्व प्राप्तियाँ (Revenue Receipts) : इसके अंतर्गत उस आय को रखा जाता है जिसका संबंध उसी वित्तीय वर्ष से होता है। इसे चालू खाता नाम से भी जाना जाता है।

राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत करों (Taxes) तथा गैर-करों से प्राप्त आय को दिखलाया जाता है।

इस प्रकार राजस्व प्राप्तियों को कर-राजस्व प्राप्तियाँ तथा गैर-कर (करेतर) राजस्व प्राप्तियों में बांटा जा सकता है।

कर-राजस्व प्राप्तियाँ या कर प्राप्तियाँ (Tax Receipts):

इसके अंतर्गत मुख्यत: निम्नलिखित करों से प्राप्त आय को दिखलाया जाता है :

(i) आयकर (Income Tax)

(ii) निगम-कर (Corporation Tax) (कम्पनियों की आय पर कर)

(iii) आयात-निर्यात कर अथवा तटकर (Custom Duty)

(iv) उत्पाद कर (Excise Duty)

(v) सम्पत्ति कर (Wealth Tax)

(vi) सेवा कर (Service Tax)

(vii) अन्य कर आदि

कर (TAX)

कर एक अनिवार्य भुगतान है जो एक व्यक्ति, गृहस्थ या फर्म द्वारा सरकार को बिना किसी प्रतिफल की आशा से दिया जाता है। कर सरकार को किये जाने वाला एक पक्षीय एवं अनिवार्य भुगतान है।

उपरोक्त करों में से आयकर, निगम-कर, तथा संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है क्योंकि यह उसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या सीधे दिया जाता है जिस पर वह कानूनी तौर पर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष करों का भार दूसरों पर टाला (Shift) नहीं जा सकता है।

दूसरी ओर आयात-निर्यात कर एवं उत्पाद कर अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो लगाये तो किसी एक व्यक्ति पर जाते हैं किंतु इसका आंशिक या पूर्ण रूप से भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को करना पड़ता है।

गैर-कर राजस्व प्राप्तियाँ

यह वे प्राप्तियाँ हैं जो करों को छोड़कर अन्य स्त्रोतों से प्राप्त होती हैं। कुछ गैर-कर राजस्व प्राप्तियाँ निम्नलिखित हैं -

(i) शुल्क-जैसे-भूमि का निबंधन शुल्क, पासपोर्ट फीस, कोर्ट फीस आदि

(ii) जुर्माना

(iii) सरकारी उद्यमों से आय : जैसे-रेलवे, इंडियन ऑयल, भिलाई का इस्पात कारखाना आदि के लाभ सरकार के लिए आय का स्त्रोत है।

(iv) ब्याज प्राप्तियाँ

(v) केन्द्र-शासित प्रदेशों की गैर-कर प्राप्तियाँ

(vi) अनुदान / दान आदि,

(ख)पूंजीगत प्राप्तियाँ (Capital Receipts) : पूंजीगत प्राप्तियाँ वे मौद्रिक प्राप्तियाँ हैं जिनसे या तो सरकार की देयता उत्पन्न होती है या परिसंपत्तियाँ कम होती हैं।

इसके अंतर्गत निम्नलिखित मदें आती हैं :

(i) आन्तरिक एवं बाह्य ऋण

(ii) ऋणों तथा उधारों की वसूली

(iii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश

(iv) लघु बचतें

(v) सार्वजनिक भविष्य निधि

(vi) विशेष जमा

(vii) अन्य मद।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार को कई तरह की प्राप्तियाँ या आय विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त होता है।

बजट-व्यय (Budget Expenditure)

सरकार के व्यय को निम्नलिखित तीन वर्गों में विभाजित किया गया है :

1. राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय
2. योजना व्यय एवं गैर-योजना व्यय या योजनेत्तर व्यय
3. विकास व्यय एवं गैर-विकास व्यय या विकासेत्तर व्यय

1. राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय :

राजस्व व्यय : राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किये जाने वाले अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है और न ही देयता में कमी होती है।

इसके महत्वपूर्ण मदें निम्नलिखित हैं :

(i) ब्याज का भुगतान

(ii) आर्थिक सहायता पर व्यय

(iii) प्रतिरक्षा पर व्यय

यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि परंपरा के अनुसार केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों (तथा केन्द्रशासित प्रदेशों) को दिये जाने वाले सभी अनुदानों को राजस्व व्यय माना जाता है, यद्यपि कुछ अनुदानों के फलस्वरूप परिसंपत्तियों का निर्माण होता है।

पूंजीगत व्यय : पूंजीगत व्यय से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार के उस अनुमानित व्यय से है जो या तो परिसंपत्तियों में वृद्धि करता है या देयता को कम करता है।

पूंजीगत व्यय की महत्वपूर्ण मदें निम्नलिखित हैं :

(i) भूमि और भवनों पर व्यय

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों तथा राज्य निगमों को दिये जाने वाले ऋण।

(iii) मशीनरी तथा उपकरणों पर व्यय

(iv) शेयरों का क्रय आदि।

2. योजना व्यय एवं गैर-योजना व्यय (Plan and Non Plan Expenditure) :

योजना व्यय : योजना व्यय से अभिप्राय सरकार के उस व्यय से है जो योजनाबद्ध विकास कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा किया जाता है। इसके कुछ मुख्य उदाहरण है - कृषि, ऊर्जा, संचार, उद्योग, यातायात, सार्वजनिक सेवायें जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर किया गया व्यय।

गैर-योजना व्यय : गैर-योजना व्यय से अभिप्राय सरकार के उस व्यय से है जो योजनाबद्ध विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर किया जाता है। जैसे- सुखा, बाढ़ एवं भूकम्प पीड़ितों को अनाज अथवा गृह निर्माण के लिए दी गई राहत आदि।

3. विकास व्यय तथा गैर-विकास व्यय (Development and Non Development Expenditure) :

विकास व्यय : विकास व्यय वह व्यय है जो सरकार द्वारा संचालित विकास क्रियाओं से संबंधित है। इसके अंतर्गत शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, कृषि, यातायात, ग्रामीण विकास, जल बिजली, सड़कों, नहरों आदि के विकास पर खर्च की जाने वाली धन राशि को शामिल किया जाता है। इसमें सरकार द्वारा उद्यमों को विकास के लिए दिये जाने वाले ऋण भी सम्मिलित होते हैं जैसे एयर-इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस को दिये गये ऋण।

गैर-विकास व्यय : यह वह व्यय है जो सरकार के विकासेत्तर क्रियाओं से संबंधित है। इसके अंतर्गत प्रशासन, पुलिस, सेना, कानून तथा व्यवस्था, करों के एकत्रीकरण, ऋणों पर ब्याज, वृद्धावस्था पेंशन आदि पर किये गये व्यय को शामिल किया जाता है।

विकास व्यय देश में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि लाता है (जिससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है) जबकि गैर-विकास व्यय ऐसा नहीं करता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार के आय (प्राप्तियों) तथा व्यय के कई स्त्रोत है। जब सरकार का बजट व्यय सरकार के बजट प्राप्तियों से अधिक होता है तो वह बजट घाटे की स्थिति होती है। यह सरकार के कुल व्यय की कुल प्राप्तियों पर अधिकता है।

संतुलित बजट : प्राप्तियाँ = व्यय

घाटे का बजट : प्राप्तियाँ < व्यय

बचत का बजट : प्राप्तियाँ > व्यय

आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका :

- अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका मुख्यतः राज्य द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों पर निर्भर करती है। यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि देश में प्रमुख आर्थिक निर्णय कौन लेता है- सरकार अथवा निजी व्यक्तिगत क्रेता और विक्रेता। किसी देश के आर्थिक विकास में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कल्याणकारी राज्य का विकास, समाजवाद का उदय, महान आर्थिक मंदी तथा नव स्वतंत्र देशों के उदय ने राज्य की भूमिका को और बढ़ा दिया है।

भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। सौभाग्य से हमारी अर्थव्यवस्था के कुछ उद्देश्य हमारे लिखित संविधान में ही शामिल कर लिये गये हैं। ये राज्य को अर्थव्यवस्था के कार्य के संबंध में कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश देते हैं। ये दिशा निर्देशन भारतीय अर्थव्यवस्था के संचालन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के उत्तरदायित्व की सीमा को निर्धारित करते हैं। भारत के आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका को निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है -

1. आर्थिक असमानता को दूर करना

राज्य के सभी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का समान रूप से विकास हो, लोगों की आर्थिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके लिए राज्य सुविधाओं एवं संसाधनों की अनुपलब्धता के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की स्थापना या अन्य कई उपाय जैसे पिछड़े क्षेत्र के लिए अनुदान या विशेष आर्थिक सहायता की व्यवस्था करता है जिससे सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास हो सके। बिहार पिछड़ा राज्य होने के कारण विशेष राज्य का दर्जा की मांग केन्द्र सरकार से कर रहा है ताकि यह भी देश के आर्थिक विकास में अधिकाधिक योगदान दे सके एवं आर्थिक विकास के मामले में देश की मुख्य धारा से जुड़ सके।

2. राज्य नीतियों के माध्यम से

राज्य समय-समय पर अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव करती है तथा नीति में इस बात का ध्यान रखती है कि यदि कोई क्षेत्र आर्थिक विकास के दौड़ में पिछड़ रहा है तो उसके लिए अपनी नीतियों के माध्यम से उसे मुख्य धारा में लाने का प्रयास करती है। राज्य समय-समय पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों की घोषणा करती है। इसके अंतर्गत औद्योगिक नीति, व्यापार नीति आदि शामिल है। भारत सरकार ने 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की है जिसका आधार उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण है। इसे LPG नीति भी कहा जाता है।

3. कृषि के विकास में योगदान

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि की सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 15% है। राज्य द्वारा कृषि के उत्थान के लिए ऋण, सिंचाई सुविधाओं का निर्माण, बीज वितरण एवं अन्य कई सहायता उपलब्ध कराया जाता है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो।

4. सार्वजनिक नियंत्रण

कम से कम उत्पादन एवं वितरण के दो क्षेत्रों में तो सरकार भी भौतिक हस्तक्षेप के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का प्रयास करती है।

(i) उत्पादन के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप का प्रथम क्षेत्र औद्योगिक लाइसेंस रहा है। नई औद्योगिक नीति-1991 में उद्योगों के लिए लाइसेंस को काफी सीमित कर दिया गया है।

पुरानी व्यवस्था में लाइसेंसिंग नियमों को निम्न उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था।

(a) उद्योगों का संतुलित क्षेत्रीय विकास

(b) नए उद्योगों का संरक्षण

(c) लघु पैमाने उद्योगों के लिए कुछ क्षेत्रों को रिजर्व करना आदि।

(ii) सार्वजनिक वितरण एवं राशनिंग :

हमने देखा है कि मांग एवं पूर्ति की शक्तियाँ अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं वितरण के सवालों का हमेशा ही सामाजिक दृष्टि से वांछनीय हल प्रस्तुत नहीं कर पाती है। हमारी अर्थव्यवस्था में इस अपर्याप्तता का एक जीता-जागता उदाहरण भोजन, ईंधन और कपड़े जैसी अनिवार्य वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति के मामले में मिल सकता है।

- सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं राशनिंग के माध्यम से इस समस्या को हल करने का प्रयास करती है एवं आर्थिक विकास में भूमिका निभाती है।

5. राजकोषीय नीति

राज्य अपनी राजकोषीय नीति के माध्यम से आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजकोषीय नीति के उपकरण के रूप में करों का महत्व आसानी से दिखाई पड़ता है। एक विकासशील देश में आवश्यक नहीं कि कराधान का उद्देश्य केवल आय की असमानताओं को कम करना ही हो। एक विकासशील अर्थ व्यवस्था में कराधान का एक मुख्य उद्देश्य विकास की दृष्टि से आवश्यक निवेशों के लिए साधन जुटाना भी है। यदि ठीक से समन्वय किया जाय तो प्रत्यक्ष करों एवं अप्रत्यक्ष करों का समुच्चय इस काम के लिए राज्य के हाथों में एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। यह आय उगाहने के माध्यम से अर्थव्यवस्था के निजी व सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में उचित प्रकार के उद्यमों की वित्त व्यवस्था के लिए बचत की काफी बड़ी मात्राओं को उपलब्ध कराता है। इससे भी अधिक यह संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन सेवाओं जैसी उन सामाजिक व आर्थिक अधिसंरचनाओं को भी सहायता प्रदान कर सकता है जो एक विकासशील अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से सार्वजनिक निवेशों पर ही निर्भर करती है।

मौद्रिक नीति

सरकार अपनी मौद्रिक नीति के द्वारा भी राज्य की आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में संपूर्ण मौद्रिक नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक के हाथों में है। यह बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है केन्द्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण जैसे-बैंक दर, खुले बाजार की क्रियायें, नकद आरक्षित अनुपात आदि के द्वारा अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा पूर्ति/साख के प्रवाह को नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण जैसे-सीमांत आवश्यकता, साख की राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्यवाही आदि के द्वारा साख के प्रवाह को आर्थिक क्रिया के विशेष क्षेत्र की ओर मोड़ते या सीमित करते हैं।

आर्थिक उदारीकरण के बाद से राज्य की भूमिका में बदलाव आने लगा है, कई ऐसे कार्य जो पहले राज्य के नियंत्रण में था वह बाजार को सौंपा जा रहा है, जिसकी आलोचना भी हो रही है। राज्य अब कल्याणकारी स्वरूप में बदलाव ला रहा है क्योंकि बढ़ते वित्तीय बोझ एवं राजकोषीय घाटा को पाटने के लिए राज्य को बाजार की ओर गतिमान होना अपरिहार्य हो गया है। इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में राज्य की भूमिका अब भी महत्वपूर्ण बनी हुई है।

लोक/सार्वजनिक उपक्रम, निजी उपक्रम एवं संयुक्त उपक्रम

आप अपने दैनिक जीवन में सभी प्रकार के व्यावसायिक संगठनों को देखते हैं। आपके घर के अगल-बगल में एकल स्वामित्व की कई प्रकार की दुकानें हैं। बड़े खुदरा व्यापार संगठन हैं जिनका संचालन कोई कंपनी करती है। जैसे-बिग-बाजार, रिलायन्स फ्रेश आदि। इसके साथ ही आपको कानूनी सेवा, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य सेवाएँ प्रदान करने वाली इकाइयाँ हैं जिनके स्वामी एक या एक से अधिक व्यक्ति हैं। ये सभी निजी स्वामित्व के संगठन है। इसी प्रकार से अन्य कार्यालय अथवा व्यवसाय हैं जिस पर सरकार का स्वामित्व है। उदाहरण स्वरूप - रेलवे एक ऐसा संगठन है जिसका स्वामित्व एवं प्रबन्धन पूर्णतया सरकार करती है आपके घर के आस-पास का डाकघर केन्द्र सरकार के डाक एवं तार विभाग के स्वामित्व में है। इसके अलावा कुछ व्यावसायिक इकाइयाँ एक से अधिक देशों में अपना व्यवसाय चला रहे हैं। इन्हें भूमंडलीय/वैश्विक उद्यम कहते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि देश में सभी प्रकार के संगठन व्यवसाय कर रहे हैं चाहे वे सार्वजनिक, निजी, वैश्विक या संयुक्त उपक्रम हों। ये संगठन हमारे रोजमर्रा के आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हैं इसलिए ये हमारी अर्थव्यवस्था के अंग है।

सार्वजनिक उपक्रम :

सार्वजनिक उद्यम/उपक्रम वैसे उपक्रम होते हैं जो सरकार द्वारा स्थापित किये जाते हैं और जिनका स्वामित्व व प्रबन्ध सरकार के हाथ में होता है। ऐसे उपक्रम सार्वजनिक हित में कार्य करते हैं। इन उपक्रमों में सरकार या तो स्वयं उनकी एकमात्र स्वामी होती है अथवा इनका अधिकतर स्वामित्व सरकार के पास होता है, चूंकि इन उपक्रमों का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक हित या सेवा अर्थात जनता को उचित मूल्य पर वस्तुएँ एवं सेवाएँ प्रदान करना होता है लेकिन लाभ कमाने के उद्देश्य को अलग नहीं किया जा सकता है। वास्तविकता यह है कि ये उपक्रम सार्वजनिक हित में काम करते हुये लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित किये जाते हैं। यहाँ यह स्पष्ट होना जरूरी है कि सभी सरकारी संस्थाएँ सार्वजनिक या सरकारी उपक्रमों में सम्मिलित नहीं होती। केवल उन सरकारी संस्थाओं को ही सार्वजनिक उपक्रम कहा जाता है जो आर्थिक एवं व्यावसायिक क्रियाएँ करती हैं। इस तरह सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेज आदि सार्वजनिक उपक्रम नहीं है।

सार्वजनिक उपक्रम को राजकीय उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, सरकारी उद्योग आदि नामों से पुकारा जाता है।

सार्वजनिक उपक्रमों के सबसे सरल एवं स्पष्ट उदाहरण है राष्ट्रीयकृत बैंक, जिनकी शाखाएँ हमारे गाँवों एवं शहरों में स्थापित किये गये हैं। यदि हम किसी बैंक की शाखा के बाहर लगे साईन बोर्ड को ध्यान से देखें तो उस पर बैंक के नाम के निचे 'भारत सरकार का उपक्रम' भी लिखा होगा।

यह इस बात का द्योतक है कि यह एक सार्वजनिक उपक्रम है। सार्वजनिक उपक्रम के कुछ अन्य उदाहरण हैं - SAIL (Steel Authority of India Limited, GAIL (Gas Authority of India Limited), BHEL (Bharat Heavy Electricals Limited), यूको बैंक (UCO Bank), राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC) आदि।

सार्वजनिक उपक्रमों की विशेषताएँ :

उपरोक्त विवेचना के आधार पर सार्वजनिक उपक्रमों की निम्नलिखित विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं :

1. सरकारी स्वामित्व

सार्वजनिक उपक्रमों का स्वामित्व पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से केंद्रीय सरकार, राज्य या स्थानीय सरकार के पास या इनके पास संयुक्त रूप से होता है। सार्वजनिक उपक्रमों में निजी क्षेत्र की भी भागीदारी हो सकती है, लेकिन सरकार के पास कुल अंशपूंजी का कम से कम **51 प्रतिशत** भाग होना चाहिए। यहाँ यह स्पष्ट होना आवश्यक है कि राजकीय का अर्थ राज्य से नहीं बल्कि सरकार से है जिसमें सभी सरकारें सम्मिलित होती हैं।

2. राजकीय नियंत्रण

सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबन्ध एवं नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है।

3. सेवा उद्देश्य

सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक हित या समाज सेवा करना अर्थात जनता को उचित मूल्य पर वस्तुएँ एवं सेवाएँ उपलब्ध कराना होता है। जबकि निजी उपक्रमों की स्थापना का एक मात्र उद्देश्य लाभ कमाना होता है।

4. जनता के प्रति उत्तरदेयता

राजकीय उपक्रम न केवल सरकार के प्रति, बल्कि जनता के प्रति भी उत्तरदायी होती है। जनता के चुने हुये प्रतिनिधि इन उपक्रमों की सफलता एवं असफलता के बारे में संसद एवं विधान मंडल में टीका-टिप्पणी करते हैं।

5. प्रबन्ध में नौकरशाही

चूंकि सार्वजनिक उपक्रम सरकार द्वारा स्थापित किये जाते हैं इसलिए इनका प्रबन्धन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सरकार के द्वारा बनाये गये नियमों एवं उपनियमों को ध्यान में रखते हुये किया जाता है।

6. सभी वर्गों के लिए उपयोगी

सार्वजनिक उपक्रम समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से उपयोगी होता है। जैसे-सार्वजनिक क्षेत्र का डाक एवं तार विभाग समाज के सभी लोगों की एक समान सेवा करता है।

7. कुछ क्षेत्रों में एकाधिकार

सार्वजनिक उपक्रमों का कुछ क्षेत्र में एकाधिकार है। जैसे-रेलवे, परमाणु ऊर्जा आदि की सेवाएँ। समाज सेवा के लिए ऐसा जरूरी भी है क्योंकि इन क्षेत्रों में अधिक लाभ न होने के कारण निजी क्षेत्र के उद्यमी इनमें कोई रुचि नहीं रखते हैं।

8. वित्तीय स्वतंत्रता

सरकार द्वारा पूंजी विनियोग के माध्यम से सार्वजनिक उपक्रमों की लगभग सभी वित्तीय आवश्यकताएँ पूरी की जाती रही है। परंतु आजकल उदार आर्थिक नीतियों के कारण सरकारी उपक्रमों को अपनी वित्तीय आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए जनता से वित्त प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। जो इन उपक्रमों की वित्तीय स्वतंत्रता का संकेत है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संगठनों के स्वरूप

देश के व्यावसायिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में सरकार की भागीदारी के लिए किसी प्रकार के संगठनात्मक ढांचे की आवश्यकता होती है। एक सार्वजनिक उपक्रम, व्यावसायिक संगठन के किसी भी स्वरूप को अपना सकता है लेकिन यह उसके कार्यों की प्रकृति एवं सरकार से इसके संबंधों पर निर्भर करता है। व्यावसायिक संगठन का कौन-सा स्वरूप इसके लिए उपयुक्त रहेगा यह इसकी आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा।

सार्वजनिक उद्यमों के विभिन्न स्वरूप निम्नलिखित हैं :

1. विभागीय उपक्रम (Departmental Undertaking)
2. वैधानिक / सार्वजनिक निगम (Public Corporation)
3. सरकारी कंपनी (Govt. Companies)

1. विभागीय उपक्रम

यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का सबसे पुराना एवं परंपरागत स्वरूप है। विभागीय उपक्रम की स्थापना किसी मंत्रालय के एक विभाग के रूप में की जाती है। यह मंत्रालय का ही एक भाग या फिर उसका विस्तार माना जाता है। इनका प्रबन्ध उपक्रम से संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

ये सरकार की गतिविधियों के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इनका गठन स्वायत्त एवं स्वतंत्र संस्था के रूप नहीं किया जाता एवं इनका स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है। ये उपक्रम केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन हो सकते हैं तथा इसमें केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के नियम लागू होते हैं। ये उपक्रम संबंधित मंत्रालय के अधिकारियों के माध्यम से कार्य करते हैं तथा इनके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होते हैं। इस प्रकार के उपक्रम की स्थापना सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाओं के लिए की जाती है। इन उपक्रमों के उदाहरण है डाक एवं तार विभाग, भारतीय रेल आदि।

2. वैधानिक / सार्वजनिक निगम

वैधानिक निगम वे सार्वजनिक उद्यम है जिसकी स्थापना संसद / विधान मंडल के विशेष अधिनियम के द्वारा की जाती है। यह अधिनियम इस प्रकार के उद्यमों के अधिकार एवं कार्य, इनके कर्मचारियों से संबंधित नियम एवं कानून तथा अन्य सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों के साथ इनके संबंधों को स्पष्ट करता है।

यह पूर्णतया सरकार के स्वामित्व में होती है। साधारणतः अपनी वित्त की आवश्यकता को यह स्वयं पूरा करती है। यह सरकार से ऋण लेकर अथवा जनता से वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री द्वारा आय अर्जित कर धन जुटाती है। इसके लाभ का विनियोजन सरकार करती है तथा यदि कोई हानि होती है तो उसे भी सरकार वहन करती है।

इस प्रकार वैधानिक निगमों के पास जहाँ एक ओर सरकारी अधिकार होता हैं वहीं दूसरी ओर निजी उद्यम के समान परिचालन में पर्याप्त लचीलापन भी होता है। इसके प्रमुख उदाहरण है - भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), भारतीय खाद्य निगम (FCI), केन्द्रीय भण्डार निगम, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस आदि।

3. सरकारी कंपनी

सरकारी कंपनियों की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत की जाती है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार एक सरकारी कंपनी वह कंपनी है जिसकी कम से कम 51 प्रतिशत चुकता अंशपूँजी (Paid up share capital) या तो केन्द्र सरकार के पास है, या कि राज्य सरकारों के पास है या फिर कुछ केन्द्र सरकार के पास और शेष एक या एक अधिक राज्य सरकारों के पास है।

सरकार का ऐसी कंपनी की चुकता अंश पूँजी पर नियंत्रण होता है। इन कंपनियों में सरकार ही बड़ा अंशधारक है तथा प्रबंध पर उसी का नियंत्रण है इसलिए इसे सरकारी कंपनी कहा जाता है।

सरकारी कंपनी की स्थापना विशुद्ध रूप से व्यवसाय करने के लिए किया जाता है। ये कंपनियाँ निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं। भारत में सरकारी कंपनियों के उदाहरण है : कोल इण्डिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड, स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लि0, गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आदि।

निजी उपक्रम : निजी उपक्रमों की स्थापना निजी स्वामित्व (Private Ownership) के रूप में होती है। निजी उपक्रमों का अभिप्राय यह है कि इन पर स्वामित्व पूर्णतः निजी लोगों का होता है और किसी भी राज्य या केन्द्रीय सरकार का स्वामित्व के दृष्टिकोण से कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इस तरह के उपक्रमों का संचालन निजी लाभ की प्रेरणा से किया जाता है। निजी उपक्रम के उदाहरण है : टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्री, सेंचुरी, ग्रासिम इंडस्ट्री आदि।

निजी उपक्रमों की विशेषताएँ

1. **निजी स्वामित्व :** इस प्रकार के उपक्रमों पर पूर्णतः निजी लोगों का स्वामित्व होता है और किसी भी राज्य या केन्द्रीय सरकार का स्वामित्व के दृष्टिकोण से कोई हस्तक्षेप नहीं होता है।

2. **निजी लाभ का उद्देश्य :** इस प्रकार के उपक्रमों का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना है। परंतु वर्तमान में इसके द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व को समझा जाने लगा है।

3. **निजी प्रबन्ध :** इस प्रकार के उपक्रमों का प्रबन्ध व्यवसाय के स्वामियों द्वारा किया जाता है। कम्पनी की दशा में, अंशधारियों द्वारा मनोनीत संचालक मण्डल उपक्रम की देख-रेख करता है।

4. **कम राजनैतिक हस्तक्षेप :** इस प्रकार के उपक्रमों में राजनैतिक हस्तक्षेप प्रायः कम होती है।

संयुक्त उपक्रम

अर्थ

व्यापक में संयुक्त उपक्रम का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यावसायिक इकाइयों के द्वारा एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने-अपने संसाधनों एवं विशेषज्ञता को एक साथ मिला लेना।

संयुक्त उपक्रम में दो या दो से अधिक कंपनियाँ (निजी, सरकारी या विदेशी कंपनी) एक नई इकाई (उपक्रम) का गठन करते हैं जिसमें उन सभी का नियंत्रण होता है। इसके लिए ये कंपनियाँ पूंजी, तकनीकी, मानव संसाधन, जोखिम एवं प्रतिफल में हिस्सा बांटने के लिए सहमत होते

इस प्रकार जब दो या दो से अधिक इकाइयाँ (कंपनियाँ) समान उद्देश्य एवं पारस्परिक लाभ के लिए इकट्ठा होना तय करती है तो इससे संयुक्त उपक्रम का उदय होता है। संयुक्त उपक्रम स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय का विस्तार, नये उत्पादों का विकास या नये बाजारों मुख्यतः अन्य देशों के बाजारों में व्यवसाय करना होता है। भारत में संयुक्त उपक्रम कंपनियाँ व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम है। इनके लिए कोई अलग से कानून नहीं है। संयुक्त उपक्रमों को भारत में घरेलू आंतरिक कंपनी के समकक्ष रखा जाता है। परंतु भारत में यदि किसी संयुक्त उपक्रम में कोई विदेशी अथवा अप्रवासी भारतीय भागीदार है तो उसे सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। भारत में संयुक्त उपक्रम के उदाहरण है - भारती एयरटेल, मारूती सुजुकी आदि।

निवेश (Investment) : निवेश के अर्थ को समझने से पहले हमें पूंजी के अर्थ को समझना होगा।

पूंजी (Capital)

हम जानते हैं कि पूंजी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारक है। पूंजी से आशय मनुष्य द्वारा निर्मित उन सभी वस्तुओं के स्टॉक से है जिनका प्रयोग और अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है। ये उत्पादन क्रिया में समाप्त नहीं हो जाती है उत्पादन की प्रक्रिया में इनका कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है और इनका उच्च मूल्य होता है। ये उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियाँ है। जैसे-मशीन, प्लांट, भवन आदि।

निवेश (Investment)

उत्पादकों का सदैव यह प्रयत्न रहता है कि उनके पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती रहे, जिससे उनकी उत्पादन करने की क्षमता में समय के साथ-साथ वृद्धि जारी रहे।

एक वर्ष के दौरान पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को उस वर्ष का निवेश कहा जाता है।

अतः I = ΔK (यहाँ I = निवेश, K = पूँजी का स्टॉक, ΔK = वर्ष के दौरान पूँजी स्टॉक में परिवर्तन)

पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन को पूंजी-निर्माण भी कहा जाता है। इस प्रकार पूंजी निर्माण एवं निवेश शब्दों का प्रयोग एक-दूसरे के स्थान पर किया जाता है।

अतः निवेश, पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया है या पूंजी के स्टॉक में वृद्धि की एक प्रक्रिया है।

विनिवेश (Disinvestment)

संपत्ति का सृजन, पूंजी स्टॉक में वृद्धि या किसी उद्यम में सरकारी धारिता (Holding) में वृद्धि निवेश कहलाता है जबकि सम्पत्ति का बेचना, पूंजी स्टॉक में कमी या किसी उद्यम में धारिता में कमी को विनिवेश कहते हैं।

सार्वजनिक उद्यमों में सरकार की अंशधारिता (स्वामित्व धारिता) में कमी लाना विनिवेश कहलाता है। विनिवेश सार्वजनिक उद्यम को निजीकरण की ओर ले जायेगा। इस प्रकार विनिवेश निजीकरण का माध्यम है।

भारत में अस्सी के दशक से ही सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रम लगातार घाटे में चल रहे थे। अतः भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि इन घाटों की पूर्ति करदाताओं द्वारा दी गई रकम से पूरी नहीं की जायेगी, क्योंकि इससे करदाताओं पर बोझ बढ़ेगा। इसलिए सरकार ने आर्थिक सुधारों के अंतर्गत विनिवेश की नीति को अपनाया। सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश की प्रक्रिया 1991-92 में प्रारंभ की गई जब डॉ0 मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment) (F.D.I.)

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से आशय विदेशी कंपनियों द्वारा एक देशी कंपनी में भौतिक पूंजी संपत्तियों; प्लान्ट मशीनरी, भूमि, भवन आदि में निवेश से है। इसके अंतर्गत विदेशी कंपनी घरेलू देश में नयी कंपनी विकसित करती है या अपनी सहायक कंपनी को खोलती है जिसमें दोनों-नियंत्रण तथा प्रबन्ध बना रहता है। यह व्यवसाय के स्वामित्व और नियंत्रण को सूचित करता है। इसमें निवेश किये गये पूंजी के प्रयोग पर निवेशक का नियंत्रण बना रहता है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से घरेलू देश में भौतिक पूंजी निर्माण होगा जिसका अनुकूल प्रभाव उत्पादन, आय तथा रोजगार पर होंगे। यह अर्थव्यवस्था में टेक्नोलॉजी भी लाती है। यह केवल पूंजीगत और तकनीकी जानकारी ही नहीं लाता है बल्कि अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा तथा कुशलता को भी बढ़ाता है। अधिकांशतः इस प्रकार के निवेश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किये जाते हैं।

भारत में LPG नीतियों को अपनाने के बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ने का अधिक अवसर मिला। भारत में 2008-09 में लगभग 27 अरब डालर का एफ.डी.आई. में ईक्विटी का अंतर्प्रवाह हुआ। UNCTAD (United Nation Conference on trade and Development) की विश्व विकास रिपोर्ट-2011 में बताया गया है कि 2009 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अन्तर्प्रवाह लगभग 36 अरब डालर था, जो घटकर 2010 में लगभग 25 अरब डालर ही रहा है। इसके अनुसार 2010 में FDI हासिल करने वाले देशों में शीर्ष पर संयुक्त राज्य अमेरिका का रहा है।

अब तक भारत में किये गये कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेश निवेश मॉरिशस देश के रास्ते हुआ है। दूसरे स्थान पर सं. रा. अमेरिका से हुआ है।

2011 में सरकार ने मल्टी ब्रांड रिटेल क्षेत्र में 51 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति प्रदान की है। सिंगल ब्रांड रिटेल क्षेत्र में एफ.डी.आई. की अधिकतम सीमा को 51 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है।

भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र में हुआ है।

अभ्यास

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

सही उत्तर का संकेताक्षर (क, ख, ग या घ) लिखें -

1. आर्थिक संवृद्धि संबंधित है -
   (क) गुणात्मक परिवर्तन से। (ख) परिमाणात्मक परिवर्तन से।
   (ग) उपरोक्त दोनों से। (घ) इनमें से कोई नहीं।
2. आर्थिक विकास संबंधित है -
   (क) परिमाणात्मक परिवर्तन से। (ख) गुणात्मक परिवर्तन से।
   (ग) उपरोक्त दोनों से। (घ) इनमें से कोई नहीं।
3. भारत का वित्तीय वर्ष है -
   (क) 1 जनवरी से 31 दिसम्बर (ख) 1 अप्रैल से 31 मार्च
   (ग) 15 फरवरी से 30 अक्टूबर (घ) इनमें से कोई नहीं।
4. प्रत्यक्ष कर के अन्तर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है ?
   (क) आयकर (ख) उत्पाद कर
   (ग) बिक्री कर (घ) इनमें से कोई नहीं।
5. बजट के दो विस्तृत घटक है -
   (क) बजट प्राप्तियाँ (ख) बजट व्यय
   (ग) उपरोक्त दोनों (घ) इनमें से कोई नहीं।
6. सार्वजनिक उपक्रम को नाम से भी जाना जाता है ?
   (क) राजकीय उपक्रम (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग
   (ग) सरकारी उद्योग (घ) उपरोक्त सभी
7. भारतीय रेलवे सार्वजनिक उपक्रम के किस स्वरूप का उदाहरण है -
   (क) विभागीय उपक्रम का (ख) वैधानिक / सार्वजनिक निगम का
   (ग) सरकारी कंपनी का (घ) इनमें से कोई नहीं।
8. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश का अभिप्राय है -
   (क) सरकार की स्वामित्व धारिता में कमी लाना।
   (ख) सरकार की स्वामित्व धारिता में वृद्धि करना।
   (ग) नये क्षेत्र में विनियोग करना।
   (घ) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर : 1. ख, 2. ग, 3. ख, 4. क, 5. ग, 6 घ, 7. क, 8. क

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

1. आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक संवृद्धि की धारणा से अधिक ..... है।
2. सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार के ..... एवं ..... के अनुमानों का विवरण होता है।
3. निजी उपक्रमों का संचालन ..... की प्रेरणा से किया जाता है।
4. निवेश ..... निर्माण की एक प्रक्रिया है।
5. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ..... में सबसे ज्यादा हुआ है।
6. भारतीय जीवन बीमा निगम एक ..... है।

उत्तर : 1. व्यापक, 2. व्यय, आय, 3. लाभ, 4. पूँजी, 5. सेवा क्षेत्र, 6. वैधानिक/सार्वजनिक निगम

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. आर्थिक विकास से आप क्या समझते है ?
2. राजस्व व्यय से आप क्या समझते हैं ? इसके दो महत्वपूर्ण मदों को बतायें।
3. पूंजीगत प्राप्तियाँ से आप क्या समझते हैं ? इसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण मदें क्या है ?
4. सार्वजनिक उद्यमों के विभिन्न स्वरूप कौन-कौन है ?
5. संयुक्त उपक्रम से आप क्या समझते हैं ?
6. निवेश से आप क्या समझते हैं ?
7. सरकारी कंपनी से आपका क्या अभिप्राय है। सरकारी कंपनी के दो उदाहरण बतायें।
8. निम्नलिखित उपक्रम सार्वजनिक उपक्रमों के किस स्वरूप / प्रारूप से संबंधित है।

   (क) डाक एवं तार विभाग

   (ख) भारतीय खाद्य निगम (FCI)

   (ग) भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड
9. विनिवेश से आप क्या समझते है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास में क्या अंतर है ? स्पष्ट करें।
2. आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका की व्याख्या करें।
3. बजट से आप क्या समझते हैं ? सरकार के व्यय को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है ? व्याख्या करें।
4. निजी उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम एवं संयुक्त उपक्रम में अन्तर बतायें।
5. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं ? व्याख्या करें।

परियोजना कार्य :

1. अध्यापक की सहायता से बिहार सरकार के उपक्रमों की एक सूची बनायें।

*****